न्यायालय श्रीमान ~~जिलाध्यक्ष~~ राजस्व मंडल महोदय, ~~होशंगाबाद~~ भोपाल

R. 2705-PBR/14
[illegible]
8
26-5-14
अधीक्षक
कलेक्टोरेट, होशंगाबाद

मिश्रीलाल आत्मज स्व0 पन्नालाल निवासी ग्राम चीचली कलॉ तहसील बाबई जिला होशंगाबाद----- पुनरीक्षणकर्ता।

विरुद्ध

बद्री प्रसाद आत्मज स्व0 पन्नालाल मीना,
निवासी ग्राम चीचलीकलॉ तहसील बाबई
जिला होशंगाबाद -------- उत्तरवादी।

स्वप्रेरणा पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता।

श्री रत्नेश दुबे
अभिभाषक द्वारा
आज दिनांक 12-8-14
को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत
[signature]
12-8-14

राजस्व निरीक्षक बाबई एवं पटवारी द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक- 7-अ/12 वर्ष 12-13 में दिनांक-30.04.2013 को किये गये सीमांकन से व्यथित होकर पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारों पर प्रस्तुत करता है:-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 2705 –पीबीआर / 2014 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–8–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आवेदक की ओर से राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 30.4.2013 को किये गये सीमांकन कार्यवाही के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । इसके अतिरिक्त यह निगरानी लगभग 1 वर्ष विलम्ब से प्रस्तत की गई है, और विलम्ब का कारण आवेदक को उसके अधिवक्ता द्वारा जानकारी नहीं देना दर्शाया गया है, जो कि समाधानकारक नहीं है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया प्री–मेच्योर एवं अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	